



IndianOil

इंडियन ऑयल

CIN : L23201MH1959GOI011388



IndianOil

विपणन विभाग— यूपीएसओ—II**एनडीएनई (गैर—घरेलू गैर—छूट प्राप्त)****एलपीजी खुदरा विक्रेता की नियुक्ति**

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने नीचे निर्दिष्ट स्थानों के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए पैकड एलपीजी सिलेंडरों के विपणन हेतु विशेष एनडीएनई एलपीजी रिटेलर को नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है:

राज्य: उत्तराखंड

श्रेणी: खुली

ए	बी	सी	डी	ई	एफ
क्र. सं.	जगह	जिला	संचालन का क्षेत्र	डीडी पर देय	पता
1	गुप्तकाशी	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल जिला	देहरादून	मंडलीय एलपीजी बिक्री प्रमुख, इंडेन मंडल कार्यालय, 37/2, लेन नंबर 4, कैंप एरिया, टर्नर रोड, कैंट एरिया, देहरादून, उत्तराखंड—248002 फोन: 0135—2644545
2	सेलाकुई	देहरादून	देहरादून, उत्तरकाशी जिला		
3	ऋषिकेश	देहरादून	देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार जिला		
4	सितारगंज	उधम सिंह नगर	जिला—नैनीताल, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, चंपावत जिला		

पात्रता एवं चयन का विवरण:— चयन और आवेदन प्रारूप के लिए पात्रता/मूल्यांकन मानदंड के साथ विस्तृत दिशानिर्देश आईओसीएल की वेबसाइट www.iocl.com पर उपलब्ध हैं और इन्हें डाउनलोड किया जा सकता है, या कॉलम एफ में उल्लिखित पते से व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है।

कॉलम ई में उल्लिखित स्थान—देहरादून पर देय “इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.)” के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹5000/- (केवल पांच हजार रुपये) के गैर—वापसीयोग्य आवेदन शुल्क के साथ पूर्ण आवेदन पत्र जमा किया जाना चाहिए। सभी प्रकार से पूर्णतया भरा हुआ आवेदन पत्र **24.03.2025 तक 17:00 बजे** या उससे पहले हमारे उपर्युक्त पते पर पहुंच जाना चाहिए।

सामान्य शर्तें:

- इस प्रकार चयनित गैर—घरेलू एलपीजी रिटेलर विशेष रूप से केवल गैर—घरेलू पैकड एलपीजी सिलेंडरों के विपणन के लिए होगा और उसे घरेलू एलपीजी ग्राहकों को नामांकित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- नियुक्ति पत्र (एलओए) जारी होने से पहले चयनित उम्मीदवार को इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (एम.डी.) के पास ₹5 लाख की ब्याज मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी।
- यह एक व्यावसायिक प्रस्ताव है और यह किसी नौकरी या सुनिश्चित रिटर्न या मुनाफे की गारंटी नहीं देता है।
- आईओसीएल बिना कोई कारण बताए अपने विवेक से इस विज्ञापन को रद्द करने/वापस लेने या नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।